"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
नवरतन पुत्र नारायणराम बावरी कुड़केपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

वाद–पत्र नम्बर 259 / 2021 GCMS No. 2021/1011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
1.12.2021	वादी श्री नवरतन पुत्र नारायणराम जाति बावरी निवासी कुड़केपुर द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत नारायणपुरा में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 ग्राम कुड़केपुर पटवार मण्डल नारायणपुरा के खाता नम्बर 51 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि नौरतनराम पुत्र नारायणराम बावरी दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम नवरतन पुत्र नारायणराम बावरी है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008391500126 आधार नम्बर 585272335311 मतदाता पहचान पत्र ...... अन्य दस्तावेज जन आधार कार्ड नं. 4751328384 की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी नारायणपुरा भू.अ.नि. कुचामन एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पत्र मुताबिक आदेश जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	1075-1077

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:09:33 IST
Reason: SelfAttested